(29)

(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी निग–3761/तीन/14 विरूद्व आदेश दिनांक 22–09–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण 941/अपील/2013–14

रामस्वरूप साहू तनय स्व. श्री मगंल प्रसाद साहू,
निवासी लोहिया मार्ग, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0।

.....आवेदक

बनाम

1. रामभजन साहू तनय स्व. श्री मगंल प्रसाद साहू
   निवासी धोबिया टंकी रीवा, तहसील हुजूर
   जिला रीवा म0प्र0
2. शांतीबाई उर्फ शन्ती पत्नी स्व. श्री मथुरा प्रसाद
3. दिनेश कुमार तनय स्व. श्री मथुरा प्रसाद
   दोनों निवासी लोहिया मार्ग तहसील हुजूर,
   जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री हरिलाल सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अनावेदगण

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 4/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 22–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने नजूल अधिकारी के आदेश दिनांक 16–8–2011 के विरूद्ध कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो कलेक्टर के आदेश दिनांक 24–10–2011 से निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो मण्डल के आदेश दिनांक 07–2–2013 को निरस्त की गई। आवेदक को अवसर दिया गाय कि आवेदक एक माह की अवधि में अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील दायर करें। आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–9–2014 से अपील आवेदन म्याद के बाहर होने से निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त ने तकनीकी आधार पर निर्णय किया है। जब प्रकरण में नजूल तहसीलदार के बाद नजूल अधिकारी तथा कलेक्टर एवं राजस्व मण्डल से निर्णीत होकर पुनः सुनवाई के लिए निर्देश दिये गये थे। तब ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किये तकनीकी आधार पर निराकरण करने में त्रुटि की है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जानकारी दिनांक से अंदर म्याद पाया जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22–9–2014 निरस्त कर प्रकरण पुर्ण परीक्षण तथा विश्लेषण उपरांत वैधानिक आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

04/02/2015

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर